बिन्दु क्र 03

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / वित्त (अ) / 2019 / 53 — रीवा, दिनांक 25-01-2019

बैठक सूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कण्डिका 24(A) की उप कण्डिका (1) के अनुसार गठित वित्त समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 04 फरवरी 2019 को अपरान्ह 3:00 बजे, प्रो0 वी0 आर0 बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गयी है।

माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति निवेदित है।

कार्यसूची –

1. वित्त वर्ष 2017–2018 के अंकेक्षित वार्षिक लेखा का अनुमोदन ।
2. वित्त वर्ष 2018–2019 के पुनरीक्षित एवं 2019–2020 के अनुमानित बजट प्रावधान पर विचार विमर्श एवं अनुशंसा।

आदेशानुसार,

वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन / क्र0 / वित्त–अ / 2019 / 54, — दिनांक 25-01-2019

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित –

1. प्रो0 के0एन0 सिंह यादव, कुलपति, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0) — अध्यक्ष
2. कुलसचिव, अ0प्र0सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0) — सदस्य / सचिव
3. डॉ0 (श्रीमती) पुष्पा सोनवानी, वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह वि0वि0, रीवा (म0प्र0) — सदस्य
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा, अथवा नामित अधिकारी (संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो) सतपुड़ा भवन भोपाल, (म0प्र0) — सदस्य
5. सचिव, म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0) — सदस्य
6. सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप–सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0) — सदस्य

वित्त नियंत्रक

प्राप्त निधि
1/2/19
D.A

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / वित्त (अ) / 2019 / 131 रीवा, दिनांक 04-02-19

संशोधित बैठक सूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कण्डिका 24(A) की उप कण्डिका (1) के अनुसार गठित वित्त समिति की बैठक **सोमवार, दिनांक 04 फरवरी 2019** को अपरान्ह **3:00 बजे, प्रो0 बी0 आर0 बी0 माथुर कक्ष** में आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया था, परन्तु अपरिहार्य कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए वित्त समिति की बैठक **शुक्रवार, दिनांक 08 फरवरी 2019** को पूर्वान्ह **11:30 बजे, प्रो0 बी0 आर0 बी0 माथुर कक्ष** में आयोजित की गयी है।

माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति निवेदित है ।

कार्यसूची :-

1. वित्त वर्ष 2017–2018 के अंकेक्षित वार्षिक लेखा का अनुमोदन ।
2. वित्त वर्ष 2018–2019 के पुनरीक्षित एवं 2019–2020 के अनुमानित बजट प्रावधान पर विचार विमर्श एवं अनुशंसा।

आदेशानुसार,

04/02/19

वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन / क्र0 / वित्त–अ / 2019 / 132 दिनांक 04-02-19

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित --

1.	प्रो0 के0एन0 सिंह यादव, कुलपति, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	अध्यक्ष
2	कुलसचिव, अ0प्र0सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	सदस्य / सचिव
3.	डॉ0 (श्रीमती) पुष्पा सोनवानी, वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह वि0वि0, रीवा (म0प्र0)	सदस्य
4.	आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा, अथवा नामित अधिकारी (संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो) सतपुड़ा भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य
5.	सचिव, म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप–सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य
6.	सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप–सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / वित्त (अ) / 2020 / 557

रीवा, दिनांक 24/02/2020

बैठक सूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कण्डिका 24(A) की उप कण्डिका (1) के अनुसार गठित वित्त समिति की बैठक **शनिवार, दिनांक 29 फरवरी 2020** को पूर्वान्ह **11:30 बजे, प्रो0 बी0 आर0 बी0 माथुर कक्ष** में आयोजित की गयी है।

माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति निवेदित है ।

कार्यसूची :-

1. वित्त वर्ष 2018-2019 के अंकेक्षित वार्षिक लेखा का अनुमोदन ।
2. वित्त वर्ष 2019-2020 के पुनरीक्षित एवं 2020-2021 के अनुमानित बजट प्रावधान पर विचार विमर्श एवं अनुशंसा।

आदेशानुसार,

वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन / क्र0 / वित्त-अ / 2020 /

दिनांक ....

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1.	प्रो0 पियूष रंजन अग्रवाल, कुलपति, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	अध्यक्ष
2.	कुलसचिव, अ0प्र0सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	सदस्य / सचिव
3.	श्री प्रवीण सिंह, वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह वि0वि0, रीवा (म0प्र0)	सदस्य
4.	आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा, अथवा नामित अधिकारी (संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो) सतपुड़ा भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य
5.	सचिव, म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप-सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य
6.	सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप-सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य

वित्त नियंत्रक

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / वित्त (अ) / 2021 / 299 रीवा, दिनांक 10-03-2021

बैठक सूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कण्डिका 24(A) की उप कण्डिका (1) के अनुसार गठित वित्त समिति की बैठक **मंगलवार, दिनांक 16 मार्च 2021** को मध्यान्ह **12:00 बजे, प्रो0 बी0 आर0 बी0 माथुर कक्ष** में आयोजित की गई है।

माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति निवेदित है ।

कार्यसूची —

1. वित्त वर्ष 2019-2020 के अंकेक्षित वार्षिक लेखा का अनुमोदन ।
2. वित्त वर्ष 2020-2021 के पुनरीक्षित एवं 2021-2022 के अनुमानित बजट प्रावधान पर विचार विमर्श एवं अनुशंसा।

आदेशानुसार,

वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन / क्र0 / वित्त-अ / 2021 / 299(1) दिनांक 10-03-2021

प्रतिलिपि — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित —

1.	डॉ0 राजकुमार आचार्य, कुलपति, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	अध्यक्ष
2.	कुलसचिव, अ0प्र0सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	सदस्य / सचिव
3.	श्री प्रवीण सिंह, वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह वि0वि0, रीवा (म0प्र0)	सदस्य
4.	आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा, अथवा नामित अधिकारी (संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो) सतपुड़ा भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य
5.	सचिव, म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप-सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य
6.	सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप-सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य

सहायक कुलसचिव (वित्त)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/वित्त (अ)/2022/३२०　　　　　　　　　　रीवा, दिनांक २५-०२-२०२२

बैठक सूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कण्डिका 24(A) की उप कण्डिका (1) के अनुसार गठित **वित्त** समिति की बैठक **सोमवार, दिनांक 28 फरवरी 2022** को अपरान्ह 3:00 **बजे**, **प्रो0 बी0 आर0 बी0 माथुर कक्ष** मे आयोजित की गयी है ।

माननीय अध्यक्ष एव सम्मानित सदस्यो की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति निवेदित है ।

कार्यसूची :–

1. वित्त वर्ष 2020–21 का अंकेक्षित वार्षिक लेखा का अनुमोदन।
2. वित्त वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित एवं 2022–23 के अनुमानित बजट प्रावधान पर विचार विमर्श कर अनुशंसा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृष्ठांकन / क्र0 / वित्त–अ / 2022 / ३२०　　　　　　　　　　**दिनांक** २५-०२-२०२२

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित –

1.	प्रो0 राजकुमार आचार्य, कुलपति, अ0प्र0 सिह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	अध्यक्ष
2.	डॉ0 सुरेन्द्र सिंह परिहार, कुलसचिव, अ0प्र0सिह वि0वि0, रीवा (म0प्र0)	सदस्य / सचिव
3.	श्री बाबूलाल साकेत, वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह वि0वि0, रीवा (म0प्र0)	सदस्य
4.	आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा, अथवा नामित अधिकारी (संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो) सतपुडा भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य
5.	सचिव, म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप–सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य
6.	सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप–सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य

कुलसचिव

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / वित्त (अ) / 2023 / 579 रीवा, दिनाक 16-03-2023

बैठक सूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कण्डिका 24(A) की उप कण्डिका (1) के अनुसार गठित **वित्त समिति** की बैठक **सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2023** को मध्यान्ह 12:00 बजे, **प्रो0 बी0 आर0 बी0 माथुर** कक्ष में आयोजित की गयी है ।

माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति निवेदित है ।

कार्यसूची :-

1. वित्त वर्ष 2021–22 का अंकेक्षित वार्षिक लेखा का अनुमोदन।
2. वित्त वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित एवं 2023–24 के अनुमानित बजट प्रावधान पर विचार विमर्श कर अनुशसा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृष्ठांकन / क्र0 / वित्त–अ / 2023 / दिनाक ....

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित –

1.	प्रो0 राजकुमार आचार्य, कुलपति, अ0प्र0 सिह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	अध्यक्ष
2.	डॉ0 सुरेन्द्र सिह परिहार, कुलसचिव, अ0प्र0सिंह वि0वि0, रीवा (म0प्र0)	सदस्य / सचिव
3.	श्री आर0के0 प्रजापति, वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह वि0वि0, रीवा (म0प्र0)	सदस्य
4.	आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा, अथवा नामित अधिकारी (संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो) सतपुडा भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य
5.	सचिव, म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप–सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य
6.	सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग, अथवा नामित अधिकारी (उप–सचिव स्तर से कम न हो) मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, (म0प्र0)	सदस्य

कुलसचिव

बिन्दु क्र0 04

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/वित्त (अ)/2019/82

रीवा, दिनांक 07-01-19

बैठक–सूचना

पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं अनुमानित बजट 2019–20 तैयार किया जाना है। बजट की तैयारी के संबंध में चर्चा एवं सुझाव हेतु **दिनांक 08–01–2019, दिन मंगलवार** को अपरान्ह **3.30 बजे** विभागाध्यक्षों की बैठक **प्रो0 बी0 आर0 बी0 माथुर कक्ष** में आयोजित की जाती है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है, कि निर्धारित बैठक में विभागीय बजट प्रस्ताव के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः—

(1) समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक एवं प्रशासकीय विभाग।
(2) संचालक, शोध संचालनालय।
(3) संचालक, स्ववित्तीय योजना।
(4) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा।
(5) कुलपति जी के सचिव।
(6) कुलसचिव के निज सहायक।

वित्त नियंत्रक

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / वित्त (अ) / 2020 / 556 — रीवा, दिनांक 24/02/2020

बैठक–सूचना

पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं अनुमानित बजट 2020–21 तैयार किया जाना है। बजट की तैयारी के संबध में चर्चा एवं सुझाव हेतु विभागाध्यक्षों की बैठक **दिनांक 27–02–2020, दिन गुरूवार** को पूर्वान्ह **11.30 बजे** माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में **प्रो0 बी0 आर0 बी0 माथुर कक्ष** में आयोजित की जाती है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है, कि निर्धारित बैठक में विभागीय बजट प्रस्ताव के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेशित–

(1) समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक एवं प्रशासकीय विभाग।
(2) संचालक, शोध संचालनालय।
(3) संचालक, स्ववित्तीय योजना।
(4) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा।
(5) कुलपति जी के सचिव।
(6) कुलसचिव के निज सहायक।

वित्त नियंत्रक

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / वित्त (अ) / 2020 / 715 रीवा, दिनांक 27-02-2020

संशोधित बैठक–सूचना

पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं अनुमानित बजट 2020–21 तैयार किया जाना है। बजट की तैयारी के संबंध में चर्चा एवं सुझाव हेतु विभागाध्यक्षों की बैठक **दिनांक 27–02–2020, दिन गुरूवार** को पूर्वान्ह **11.30 बजे** माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में **प्रो0 बी0 आर0 बी0 माथुर कक्ष** में आयोजित की गई थी, परन्तु श्री मोलई प्रसाद यादव, भृत्य के आकस्मिक दुखद निधन हो जाने के कारण उक्त बैठक स्थगित करते हुए **दिनांक 29–02–2020, दिन शनिवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे** आयोजित की गई है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है, कि निर्धारित बैठक में विभागीय बजट प्रस्ताव के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेशित –

(1) समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक एवं प्रशासकीय विभाग।
(2) संचालक, शोध संचालनालय।
(3) संचालक, स्ववित्तीय योजना।
(4) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा।
(5) कुलपति जी के सचिव।
(6) कुलसचिव के निज सहायक।

वित्त नियंत्रक

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / वित्त (अ) / 2021 / 2418,   रीवा, दिनांक 22/01/21

बैठक–सूचना

पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं अनुमानित बजट 2021–22 तैयार किया जाना है। बजट की तैयारी के संबंध में चर्चा एवं सुझाव हेतु, **माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में**, विभागाध्यक्षों की बैठक **दिनांक 28–01–2021, दिन गुरूवार** को अपरान्ह **3.00 बजे प्रो0** बी0 आर0 पी0 माथुर **कक्ष** में आयोजित की गयी है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि निर्धारित बैठक में विभागीय बजट प्रस्ताव के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित–

(1) समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक एवं प्रशासकीय विभाग।
(2) संचालक, शोध संचालनालय।
(3) संचालक, स्ववित्तीय [illegible]
(4) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा।
(5) कुलपति जी के सचिव।
(6) कुलसचिव के निज सहायक।

वित्त नियंत्रक

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / वित्त (अ) / 2022 / 301 | रीवा, दिनांक 03-02-22

बैठक–सूचना

पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं अनुमानित बजट 2022–23 तैयार किया जाना है। बजट की तैयारी के संबंध में चर्चा एवं सुझाव हेतु, **माननीय [illegible] जी की अध्यक्षता में**, विभागाध्यक्षों की बैठक **दिनांक 09 फरवरी 2022, दिन बुधवार** को अपरान्ह **3.30 बजे प्रो0 बी0 आर0 बी0 माथुर कक्ष** में आयोजित की गयी है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है, कि निर्धारित बैठक में विभागीय बजट प्रस्ताव के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

Basu 3/2/2022

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–

(1) समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक एवं प्रशासकीय विभाग।
(2) संचालक, शोध संचालनालय।
(3) संचालक, स्ववित्तीय योजना।
(4) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा।
(5) कुलपति जी के सचिव।
(6) कुलसचिव के निज सहायक।

Basu 3/2/2022

वित्त नियंत्रक

O/C

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / वित्त (अ) / 2023 / 570 रीवा, दिनाक 07-03-202

बैठक–सूचना

पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं अनुमानित बजट 2023–24 तैयार किया जाना है। बजट की तैयारी के संबध मे चर्चा एवं सुझाव हेतु, **माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में**, विभागाध्यक्षों की बैठक **दिनांक 14–03–2023, दिन मंगलवार** को अपरान्ह **3.30 बजे प्रो0 बी0 आर0 बी0 माथुर कक्ष** मे आयोजित की गयी है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है, कि निर्धारित बैठक में विभागीय बजट प्रस्ताव के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

7.3.2023

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित–

(1) समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक एवं प्रशासकीय विभाग।
(2) संचालक, शोध संचालनालय।
(3) संचालक, स्ववित्तीय योजना।
(4) संचालक, दूरवर्ती शिक्षा।
(5) कुलपति जी के सचिव।
(6) कुलसचिव के निज सहायक।

7.3.2023

वित्त नियंत्रक

खण्ड - दो

2.1 वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य पद्धति

(i) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 16 में यथा प्रावधानिक - कुलसचिव विश्वविद्यालय की समस्त धनराशि के संकलन, आहरण एवं वितरण के लिये उत्तरदायी होगा एवं यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जाय जिसके लिए वह धनराशि या राशियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, म. प्र. शासन, अथवा अन्य किसी स्त्रोत से आबंटित, अनुबंधित या संकलित की गई हो। इसमें वे सभी धनराशि, निधि सम्मिलित होगी जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विश्वविद्यालय निधि प्रावधानित है ।

(ii) विश्वविद्यालय की समस्त धनराशि के संचालन के लिए खाता निर्धारित बैंकों में म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में यथा प्रावधानित कुलसचिव पद नाम से संधारित होगा।

बैंक खातों का संचालन कुलसचिव द्वारा एवं यथा उपबंधित राशि को एक निश्चित सीमा तक वित्ताधिकारी (जहां पद स्थापित हो) द्वारा ही किया जा सकेगा।

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम अथवा परिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय किसी अन्य द्वारा संचालित/संधारित नहीं किया जा सकेगा।

2.2 व्यय पर नियंत्रण

विश्वविद्यालय अधिनियम में यथा प्रावधानित कार्य परिषद एवं कुलपति के सामान्य नियंत्रण में रहते हुए कुलसचिव वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी होगा एवं इसके लिए उसे समस्त शक्तियाँ प्राप्त होगी। विश्वविद्यालय के व्यय पर वित्ताधिकारी से मासिक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कुलसचिव उसे अपनी टिप्पणी के साथ कुलपति को अग्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

विश्वविद्यालय में वित्तीय नियंत्रण के लिए म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित किये गये ऐसे निर्देश जो विश्वविद्यालयों द्वारा प्रभावशील हों, का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वित्त समिति एवं कार्य परिषद द्वारा अन्यथा निर्णय लेने सिवाय, नियंत्रण अधिकारी के रुप में कुलसचिव वित्त समिति एवं कार्य परिषद द्वारा निर्धारित बजट की व्यय सीमा के भीतर रहते हुए विश्वविद्यालयों की राशियों का व्यय सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

विश्वविद्यालय का लेखा म.प्र. शासन वित्तीय संहिता एवं लेखा नियमों के अंतर्गत संचालित किया जायेगा एवं इसे सुनिश्चित करने के लिए वित्त अधिकारी उत्तरदायी होगा।

2.3 व्यय तथा राशियों का भुगतान

विश्वविद्यालय की निधि के व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी, स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा कर एवं व्यय हेतु आबंटित राशि उपलब्ध होने के

बाद ही व्यय किया जाय परंतु यह भी कि यदि कार्य परिषद् ने चार्टर एकाउटेंट से अंकेक्षण करने की स्थिति में सालाना संकेक्षण करने का निर्णय लिया है तो ऐसी स्थिति में वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव विश्वविद्यालय के आंतरिक लेखा संपरीक्षक द्वारा जांच के बाद भुगतान कर सकेंगे ।

जहां किसी राशि का भुगतान स्थानिय निधि संपरीक्षा द्वारा पूर्व भुगतान के बाद किया गया है वहां भुगतान उपरांत अंकेक्षण आपत्ति नहीं होगी। यदि स्थानिय निधि संपरीक्षा के आवासीय अंकेक्षण द्वारा देयक का भुगतान पारित किया गया है एवं भुगतान उसके बाद किया गया है तथा उसके बाद भी आवासीय अंकेक्षण द्वारा अपने प्रतिवेदन में इस भुगतान से संबंधित कोई आपत्ति दर्ज की जायेगी तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित सहायक संचालक- स्थानीय निधि संपरीक्षा का होगा।

परंतु यह भी कि जहां कुलपति अथवा कार्य परिषद को ऐसा अधिकार हो कि स्थानीय निधि संपरीक्षा देयकों के भुगतान को लेकर विश्वविद्यालय के सामान्य कार्यो एवं उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में विलंब अथवा बाधा उत्पन्न कर रहे हैं एवं देयक पर लगाई गई आपत्ति/ टिप्पणीयां औचित्य प्रतिपादित करने के बाद भी स्वीकृत नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में कुलपति स्वविवेक से आवासीय अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों को निरस्त करने का औचित्य बताते हुए उसे निरस्त कर सकेंगे अथवा आवश्यकता पड़ने पर चार्टर्ड एकाउंटेंट से भुगतान उपरांत अंकेक्षण का आदेश दे सकेंगे।

साथ ही यह भी कि आंतरिक लेखा परीक्षक को यदि देयक के भुगतान में कोई आपत्ति है तो वह सारी आपत्तियां एक ही बार में सूचित करेगा एवं देयक प्राप्त करने के बाद अधिकतम 3 कार्यदिवसों तक देयक अपने पास रख सकेगा।

2.4 संविदा एवं अनुबंध

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्याधिन रहते हुए कुलसचिव विश्वविद्यालय की समस्त संविदा एवं अनुबंध को हस्ताक्षरित कर सकेगा।

परंतु यह भी कि किसी भी संविदा अथवा अभिलेखों को प्रमाणित करने से पूर्व विश्वविद्यालय के हित की रक्षा एवं संबंधित अनुबंध, सविदा अथवा अभिलेख की वैधता सुनिश्चित करने के लिए कुलसचिव उत्तरदायी होगा एवं इसके लिए उसे समस्त शक्तियां प्राप्त होगी।

साथ ही यह कि किसी भी संविदा, अनुबंध, अभिलेख की वैधता के संबंध में शंका होने पर कुलसचिव इसकी सूचना कुलपति को देगा।

2.5 हानियाँ

विश्वविद्यालय के धन, राजस्व या आय, भण्डार या अन्य संपत्ति, जो विश्वविद्यालय के नियंत्रण में हैं, कि हानि होने पर हानि की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा/शिक्षण विभाग की स्थिति में विभागाध्यक्ष द्वारा लिखित रुप में कुलसचिव को दी जायेगी एवं कुलसचिव इसकी सूचना तुरंत कुलपति को देंगे एवं उनके निर्देशानुसार जैसा आवश्यक हो, पुलिस